राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज. जयपुर

क्रमांक :– टीसी / 2023 / 337 दिनांक :– 12/09/2023

समस्त संयुक्त निदेशक–जोन

समस्त सीएमएचओ / पीएमओ
राजस्थान

विषय – कार्मिकों का बकाया वेतन आहरण करने बाबत –
प्रसंग – **दिनांक 11.09.2023 को माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के संदर्भ में**

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान श्रीमान शासन संयुक्त सचिव के पत्रांक प022(03)चिस्वा / 2 / 2023 दिनांक 23.06.2023 एवं निदेशालय के पृष्ठांकन क्रमांक एफ–1011 / राईडर / योजना / विकास / 2023 / 744 दिनांक 27.06.2023 की ओर आकर्षित कर लेख है कि कतिपय कार्मिकों द्वारा माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराया कि उनका वेतन आहरित नहीं हो रहा है जबकि उक्त पत्र द्वारा ऐसे संस्थानों पर कार्यरत कार्मिकों के वेतन आहरण के निर्देश जारी किये जा चुके है। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार के उक्त पत्र दिनांक 23.06.2023 की पालना में नव स्वीकृत 28 चिकित्सा संस्थान जिनमें वित्त विभाग का राइडर है में कार्यरत कार्मिकों का वेतन समकक्ष / उच्च रिक्त पद से निर्देशानुसार आहरित किया जाना सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार बजट घोषणा वर्ष 2012–13 में वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने से शेष रहे उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापित ए0एन0एम0 को बकाया वेतन दिनांक 31.03.2023 तक आहरित करने के निर्देश निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक 185 दिनांक 01.06.2023 के द्वारा जारी किये गये थे की निरन्तरता में लेख है कि **निदेशालय के उक्त पत्र में प्रदत्त निर्देशों के अध्यधीन एएनएम का बकाया व निरन्तर वेतन 31.12.2023 तक समकक्ष / रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

यहां उल्लेखनीय है कि जिले मे समकक्ष / रिक्त पद उपलब्ध न होने की स्थिती में सम्बन्धित संयुक्त निदेशक अपने क्षेत्राधीन जिलों से वेतन आहरण करवायेगें तथा सम्बन्धित जोन में भी पद रिक्त नहीं होने की स्थिती में सम्बन्धित संयुक्त निदेशक–जोन इस संदर्भ में सम्पूर्ण वस्तुस्थिती सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेगें ताकि अन्य जोन से कार्मिकों के वेतन आहरण सम्बन्धी कार्यवाही संपादित की जा सके।

उक्त में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सम्बन्धित कार्यालय के वरिष्ठतम लेखाकर्मी को वित्तीय सलाहकार मुख्यालय से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित करें।

उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में उक्त प्रकार के कार्मिकों द्वारा वेतन आहरण नहीं किये जाने के प्रकरण ध्यान में लाये जाने पर संबन्धित नियन्त्रण अधिकारी इसके लिये व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

(डॉ. रवि प्रकाश माथुर)
निदेशक (जन स्वा0)

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक :– टीसी/2023/337 दिनांक :– 12/09/2023

प्रतिलिपि –

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर को माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 11.09.2023 को प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2/3) राज0 जयपुर
4. वित्तीय सलाहकार – मुख्यालय
5. प्रभारी सर्वर रूम, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु

(डॉ. रवि प्रकाश माथुर)
निदेशक (जन स्वा0)

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)